

Class - B.Com II

Subject - MF I

Paper - IV (S)

Topic - SIDBI

Lecture Sequence - 13

By Mr. C.P. Sahu

Marmara College Darbhanga

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

①

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अधिनियम 1989 का विधेयक पारित हो चुका। यह बैंक अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से प्रारम्भ किया। इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के स्वामित्व में अपने सहायक बैंकों के रूप में स्थापित किया गया।

लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा चलाए जा रहे माध्यमो राजस्व वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, व्यापारिक बैंक, संकायी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उद्योगों का पुनर्वित्त, निष्ठा का बहाल आदि पुनः बहाल इत्यादि सुविधाएँ प्रदान करता है। लघु उद्योग विकास बैंक की निर्धारित पूंजी 450 करोड़ रुपये है जो 10 लाख 45 करोड़ अंशों में विभाजित है। स्थापना के समय 19.21% इसके द्वारा एवं लिये गये शेष 80.79% हिस्सा क्षेत्रीय विकास बैंकों के निष्ठा व सहायता - गैर बैंक और वित्त संस्थानों में वितरित कर दिया गया।

बैंक के उद्देश्य :-

- ① लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना
- ② वित्त की व्यवस्था करना
- ③ संस्थाओं के कार्यों के साथ सम्बन्ध बनाना

बैंक की प्रगति :- अपने सत्र सत्र में ही उद्योगों के विकास का उद्देश्य बन गया है। 2003-04 तक बैंक द्वारा 8,224 करोड़ रुपये उद्योगों की स्वीकृति दी गयी जिसमें 4,413 करोड़ रुपये उद्योगों वितरित की गयी। 2005-06 में इसके द्वारा 11,942 करोड़ रुपये स्वीकृति दिये गये जिसमें 9,100 करोड़ वितरित किया गया।

2010-11 में बैंक द्वारा स्वीकृत और प्रदत्त वित्तीय सहायता क्रमशः 42,223 करोड़ तथा 38,824 रुपये बढ़ गयी थी।

बैंक का मुख्य ध्येय, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास में आर्थिक विकास तथा रोजगार का सृजन करने और देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके।

लघु उद्योगों के कार्य निम्न हैं:-

- ① देश के प्राथमिक उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये रुजों एवं आगमनों का पुनर्वित्त प्रयत्न करना और उनकी व्यवस्था के लिए साधन उपलब्ध करना।
- ② लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित या विक्रयशील मशीनरी का बहाल या पुनः बहाल करना।
- ③ राष्ट्रीय महिला उद्यम मिश्र एवं महिला विकास मिश्र और निम्न उद्योगों के महिला उद्यमियों द्वारा की गई योजनाओं के बीच पूर्ण रूप से व्यवस्था करना।
- ④ बैंक द्वारा

(4) बैंक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋजिग, किराया-खर्च और विपणन खर्चा के लिए वित्त की व्यवस्था करना

(5) बैंक राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को ऋजिग + चै माय और लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों के विक्रय के लिए वित्तीय खर्चा करना।

(6) लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित के लिए निर्मित वस्तुओं के वित्त प्रवर्ध के लिए प्रथमिक उद्योग संस्थानों को प्रत्यक्ष खर्चा एवं ऋजिग प्रदान करना।

(7) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को आहुत किया है उपलब्ध करना।

बैंक का स्थापित करने का उद्देश्य था कि लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय खर्चा की अधिक मात्रा में पुनर्वित्त किया जा सके।

बैंक ने लघु इकाइयों को ऐन्ग्लोइंडी उन्नति और आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किये गये। स्थापित एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में लघु उद्यम इकाइयों के विपणन को प्रोत्साहित किया है। यह कई पैमाने पर रोजगार प्रेरित उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। यह कई पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। इस तरह यह ग्रामीण जनसंख्या को नगरों तथा महानगरों की ओर प्रवासन को रोकता है।

सिडकी की प्रगति एवं स्थापना के समय से अक्सर स्वीकृत एवं वितरित किये गये कुणों का विवरण निम्नतालिका से स्पष्ट हो सकते हैं-

वर्ष	स्वीकृत कुण	वितरित कुण
1990-91	2408.7	1838.5
1993-94	3356.3	2672.7
94-95	4706.3	3389.8
95-96	6085.6	4809.8
96-97	6485.3	4584.7
97-98	7484.2	5240.7
98-99	8879.8	6285.2
1999-2000	10264.7	6963.5
2000-01	10820.6	6441.4
01-02	9025.5	5919.3
02-03	10903.7	6789.5
03-04	8246.7	4414.
04-05	9091.	6188
05-2006	11942.	9050
ग्रोन -	आधिकारी (समीक्षा) -	2006-07

(5)

इस प्रकार विगत ^{एक} दशक की अवधि में सिडबी (Small Industries Development Bank of India - SIDBI) लघु क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख आधार स्तम्भ बन चुकी है।

भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र सिडबी को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अलग करके एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान के स्वरूप में बियार कर रहा है। फिककी द्वारा कराये जाये एक सर्वेक्षण के अनुसार सिडबी को स्वतंत्र रूप प्रदान करके उसके कार्य निरूपण को प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। — x —